

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

प्राथमिक अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

संख्या :- 77/2024 ए०फ०

लाइलाक 510 मांगीवाल दर्जी के खेता - करेडा

बनाम
श्रीमा लाल 510 मांगीवाल जीलाकर - करेडा - करेडा - करेडा

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत
वेदन किया कि ग्राम ~~करेडा~~..... पटवार हल्का ~~करेडा~~..... तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
की खाता संख्या ~~603~~ आराजी नम्बर ~~91.67/4923~~.....

..... कुलकिता ~~1~~..... रकबा ~~0.2523~~..... हैक्टेयर भूमि
वादाग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की
के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~7/3/24~~..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादाग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
निक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
~~करेडा~~ पटवार हल्का ~~करेडा~~..... तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
जी नम्बर ~~91.67/4923~~.....

..... कुलकिता ~~1~~..... रकबा ~~0.2523~~..... हैक्टेयर भूमि
तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक.
को ~~500/-~~ /- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
प्रीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल
पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा



- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा
सहायक कलक्टर करेडा